डी0पी0एम0यू0–

1– डी0पी0एम0यू0 द्वारा पी0पी0टी के माध्यम से की गयी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गयी।

2– जिलाधिकारी महोदय द्वारा डी0पी0एम0यू0 को निर्देशित किया गया कि विवादित भूमि प्रस्तावों को निस्तारित कराने हेतु उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर निस्तारित करायें।

3– जिलाधिकारी महोदय द्वारा डी0पी0एम0यू0 को निर्देशित किया गया कि पूर्व में किये गये सभी हर घर जल योजनाओं में पुनः बैठक करायें जिसमें क्षेत्र से सम्बन्धित मा0 जनप्रतिनिधियों एवं खण्ड विकास अधिकारियों को अवश्य बुलाया जाये।

दोनों फर्मों द्वारा बताया गया कि ग्राम प्रधानो द्वारा किसी कारण वश कार्य रोक दिये गये है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जिन ग्राम पंचायतों मे प्रधानों द्वारा किसी कारणो से कार्य बाधित किया है उन सभी योजनाओं की सूची जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध करावे तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित प्रधानों को अपने स्तर से निर्देशित करें कि कार्यों में अनावश्यक बाधा उत्पन्न न करे।

जल निगम(नगरीय) द्वारा बताया गया कि कुछ ग्राम नगरीय क्षेत्रो मे सम्मिलित हो गये है जिनमे अमृत 2.0 के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित करा दी गई है परन्तु जल निगम (ग्रामीण) द्वारा पूर्व से जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल का कार्य किया जा रहा है जिस पर अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित योजनाओं पर लगभग 50 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण किये जा चुके है तथा सभी योजनाओ पर निरन्तर कार्य प्रगति पर है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल निगम(ग्रामीण) एवं जल निगम (नगरीय) को निर्देशित किया गया कि योजना पूर्व से स्वीकृत हो चुकी थी कार्य भी 50 प्रतिशत तक करा दिये गये है यदि कार्यों को रोका जाता है तो किये जा चुके कार्य एवं किये गये कार्यों पर हुआ व्यय अनुपयोगी नहीं होगा तथा राजस्व की क्षति होगी। अतः जल निगम ग्रामीण द्वारा पाइप पेयजल योजना के कार्य कराये जा रहे है उनको समयान्तर्गत पूर्ण करायें।

अधिशासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
सीतापुर
(सदस्य सचिव)

अधिशासी अभियन्ता,
सीतापुर प्रखण्ड,
शारदा नहर सीतापुर,
(सदस्य)

जिला बेसिक शिक्षा
अधिकारी सीतापुर
(सदस्य)

जिला पंचायत राज अधिकारी
सीतापुर (सदस्य)

जिला विकास अधिकारी,
सीतापुर (सदस्य)

मुख्य विकास अधिकारी,
सीतापुर(उपाध्यक्ष)

जिलाधिकारी,
(अध्यक्ष)

पृ0 संख्याः 2807 / m-45 /25 दिनांक 02 / 12 / 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0 तृतीय तल, विकास भवन, सीतापुर।

2– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड/ निर्माण खण्ड– प्रथम/ निर्माण खण्ड–चतुर्थ/, प्रान्तीय निर्माण खण्ड, निर्माण खण्ड – द्वितीय(पी0एम0जी0एस0वाई0), लोक निर्माण विभाग, सीतापुर।

3– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम(नगरीय), सीतापुर।

4– सेन्सिस टेक लि0 (टी0पी0आई एजेन्सी), सीतापुर।

5– प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 लार्सन एण्ड टूब्रो, माउण्ट पूनामल्ली रोड, मनपक्कन,चेन्नई।

6– प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 एन0सी0सी0 लिमिटेड, एन0सी0 हाउस, 5वाँ तल, सर्वे नं0 64, मधापुर हैदराबाद।

7– डी0पी0एम0यू0 सीतापुर।

8– समस्त आई0एस0ए0 सीतापुर।

अधिशासी अभियन्ता,
जल निगम (ग्रामीण),
(सदस्य सचिव)

5– जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी विद्यालयों/आंगनवाडी/ प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र में जल संयोजन प्राथमिकता पर किया जाये। (15)

मै0 एन0सी0सी0 लि0–

1– मै0 एन0सी0सी0 लि0 द्वारा अवगत कराया गया कि 783 स्वीकृति डी0पी0आर0 में 769 नग बोरवेल का कार्य पूर्ण हुआ है। पम्प हाउस 632 नग में कार्य चल रहा है तथा 746 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रगति पर है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा समय सीमा पूर्ण हो जाने वाले कवर अनुबन्धों की समीक्षा की गई जिसका विवरण निम्नलिखित है–

क. सं.	कवर अनुबन्ध	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	शिरोपरि जलाशय		पाइप लाइन (कि0मी0)		बोरिंग का कार्य	
				लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति
1	126/ई.डी./21–22	31.08.2021	28.02.2023	20	17	199.77	181.25	20	18
2	213/ई.डी./21–22	11.12.2021	10.06.2023	70	69	939.25	839.65	70	70
3	256/ई.डी./21–22	09.02.2022	08.08.2023	51	50	709.32	686.22	51	51

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यों की प्रगति को देखते हुए फर्म को निर्देशित किया गया कि जिन अनुबन्धों के कार्य पूर्ण करने का समय समाप्त हो गया उन योजनाओं पर मैनपावर बढ़ाते हुए तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

2– जिलाधिकारी महोदय द्वारा मैसर्स एन0सी0सी0 लि0 की शिरोपरि जलाशय की अत्यन्त कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए फर्म को निर्देशित किया गया कि शिरोपरि जलाशय की प्रगति में सुधार करें जिस पर मैसर्स एन0सी0सी0 लि0 के ए0जी0एम0 के द्वारा बताया गया कि माह नवम्बर 2023 तक 125 एवं माह दिसम्बर 2023 तक 230 शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

3– जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 एन0सी0सी0 लि0 को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन डालते समय जो सड़कें तोड़ी/खोदी जा रही उनको साथ में ही मोटरेबल कराते हुए सड़कों के पुर्नस्थापन/मरम्मत का कार्य शीघ्र किया जाये। चूंकि पुर्नस्थापन/मरम्मत का कार्यों की प्रगति बहुत धीमी है।

4– जिलाधिकारी महोदय द्वारा मैसर्स एन0सी0सी0 लि0 को निर्देशित किया गया कि बिना अनुमति के पाइप लाइन बिछाने हेतु सड़कों तोड़ा/काटा न जाये तथा सेफ्टि सतह से 01 मीटर दूरी पर ही पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जाये तथा बैकफीलिंग लेयर बाई लेयर कम्पेक्शन करते ट्रन्च की भराई की जाये।

5– मै0 एन0सी0सी0 लि0 के ए0जी0एम0 श्री चन्द्रशेखर राव द्वारा बताया गया कि 128 योजनाओं में सोलर पम्प के द्वारा पानी में क्लोरीन की आवश्यक मात्रा का प्रयोग करते हुए सीधे जलापूर्ति की जा रही है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं में पानी का संचालन किया जा रहा है वहां नियमित रूप से नियमानुसार शुद्ध पेयजल का संचालन कराया जाये।

6– जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि योजनाओं को पूर्ण करने के उपरान्त ग्राम सभा को हस्तान्तरण करते समय बिछायी गयी पाइप लाइन के मैप पर किस घर से किस घर तक पाइप लाइन डाली गयी है तथा किस प्रकार की रोड पर डाली गई है, का विवरण अवश्य इंगित करें। जिससे कि ग्राम वासियों एवं ग्राम प्रधान को योजना के संचालन एवं रख रखाव में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

7– जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी विद्यालयों/आंगनवाडी/ प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र में जल संयोजन प्राथमिकता पर किया जाये।

8– अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक संख्या 3468/W-355/Tech/JJM/SLSSC-44th/2023-24 दिनांक 06.11.2023 के द्वारा पूर्व में प्रेषित 10 नग पाइप पेयजल योजनाओं के पुर्नगठन में लिए जाने का औचित्य जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से चाहा गया है जिस हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों एवं सहायक अभियन्ता से पत्र में वर्णित सभी योजनाओं का सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण में बताया गया कि पूर्व में बनी 10 नग पेयजल योजनाओं में अधिकांश गृह संयोजन टूट चुके है तथा पाइप लाइन डैमेज हो चुकी है यदि योजनाओं को पुर्नगठन में नहीं लिया जाता तो हर घर जल किया जाना एवं सभी ग्राम वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है जिस कारण से पूर्व में बनी 10 नग पेयजल योजनाओं में पुर्नगठन के प्राक्कलन तैयार कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से स्वीकृति उपरान्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किया गया था। यहां यह भी अवगत कराना है कि 10 नग पेयजल योजनाओं को रेट्रोफिटिंग में सम्मिलित नहीं है। जिस पर समिति द्वारा सभी 10 नग योजनाओं का औचित्य राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

152

जल जीवन मिशन के कार्य कर रही फर्मों द्वारा अवगत कराया गया कि पाइप लाइन बिछाने हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा अनुमति प्रदान न होने के कारण कई स्थानों पर कार्य बाधित हो गये हैं जिससे कार्यों में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा आर०ई०डी० एवं लो०नि०वि० के सभी अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि समय से अनुमति प्रदान करना सुनिश्चित करें, जिससे कि कार्यों को तीव्र गति से शासन की मंशा के अनुरूप कराया जा सके।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत बैठक में इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सियों (आई०एस०ए०), इन्फोरमेशन एजुकेशन एण्ड कम्युनिकेशन (आई०ई०सी०), डी०पी०एम०यू० एवं सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई एजेन्सी) द्वारा पी०पी०टी के माध्यम से अपनी संस्था द्वारा की गयी गतिविधियो के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गयी एवं अवगत कराया कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल जीवन मिशन से जोड़ा जा रहा है। जिससे उनकी रुचि इस मिशन के प्रति बढ़ी है।

सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई०ए०)–

1– टी०पी०आई० सेन्सिस टेक लि० द्वारा पी०पी०टी० के माध्यम से कार्य कर रही एजेन्सी मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० एवं एन०सी०सी० लि० के कार्यों की जानकारी दी गई एवं कार्य कर रही एजेंसियों के द्वारा कई स्थानों पर पाइप लाइन मार्गो को खोदकर बैकफीलिंग/मोटरेबल का कार्य नहीं किया जा रहा है एवं रोड पुर्नस्थापन का कार्य भी शेष है। मेसर्स एन०सी०सी० लि० एवं एल० एण्ड टी० लि० द्वारा कई स्थानों पर निम्न गुणवत्ता की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोष व्यक्त करते हुए दोनों कार्य कर रही फर्मों को निर्देशित किया गया कि राजमार्गो के किनारे बिना पूर्व अनुमति के पाइप लाइन का कार्य न किया जाये एवं मुख्य मार्गो के किनारे जहां भी पाइप लाइन डाली गई है उनको बैकफीलिंग/मोटरेबल कराते हुए पूर्व की स्थिति में लाना सुनिश्चित करें तथा प्रयोग में लायी जा रही सामग्री(ईंट, मौरंग, गिट्टी, सरिया एवं सीमेंन्ट इत्यादि) की आपूर्ति एजेन्सियों द्वारा स्वयं की जाये जिससे कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे एवं सामग्री की आपूर्ति बाद गुणवत्ता जांच कराने के उपरान्त ही प्रयोग में लायी जाये।

2– टी०पी०आई० सेन्सिस टेक लि० द्वारा बताया गया कि दोनों फर्मों द्वारा सुरक्षा नियमों का पालन सही से नहीं किया जा रहा है जिस पर जिलाधिकारी महोदय दोनों फर्मों को निर्देशित किया गया कि साइटों पर सुरक्षा नियमों का पालन करने हेतु सुरक्षा नियमों का बोर्ड बना कर लगाये तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

मे० लार्सन एण्ड टूब्रो लि०–

1– मे० लार्सन एण्ड टूब्रो लि० द्वारा अवगत कराया गया कि 535 स्वीकृति डी०पी०आर० में 521 नग बोरवेल का कार्य पूर्ण हुआ है। पम्प हाउस 245 नग में कार्य चल रहा है तथा 430 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रगति पर है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा समय सीमा पूर्ण हो जाने वाले कमर अनुबन्धों की समीक्षा की गई जिसका विवरण निम्नलिखित है–

क्र. सं.	कमर अनुबन्ध	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	शिरोपरि जलाशय		पाइप लाइन (कि०मी०)		बोरिंग का कार्य	
				लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति
1	100/ई.डी./21–22	10.08.2021	03.02.2023	91	88	1031.00	705.45	91	88
2	206/ई.डी./21–22	08.12.2021	07.06.2023	129	123	1304.41	850.84	129	127
3	225/ई.डी./21–22	30.12.2021	29.06.2023	65	62	900.00	382.87	65	63

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यो की प्रगति को देखते हुए फर्म को निर्देशित किया गया कि जिन अनुबन्धों के कार्य पूर्ण करने का समय समाप्त हो गया उन योजनाओं पर मैनपावर बढ़ाते हुए तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

2– जिलाधिकारी महोदय द्वारा मे० लार्सन एण्ड टूब्रो लि० को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन डालते समय जो सड़के तोड़ी/खोदी जा रही उनको साथ में ही मोटरेबल कराते हुए सड़को के पुर्नस्थापन/मरम्मत का कार्य शीघ्र किया जाये। चूंकि पुर्नस्थापन/मरम्मत का कार्यो की प्रगति बहुत धीमी है।

3– जिलाधिकारी महोदय द्वारा मे० लार्सन एण्ड टूब्रो लि० को निर्देशित किया गया कि बिना अनुमति के पाइप लाइन बिछाने हेतु सड़कों तोड़ा/काटा न जाये तथा सेंचित सतह से 01 मीटर दूरी पर ही पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जाये तथा बैकफीलिंग लेयर बाई लेयर कम्पेक्शन करते ट्रन्च की भराई की जाये।

4– जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि योजनाओं को पूर्ण करने के उपरान्त ग्राम सभा को हस्तान्त करते समय बिछायी गयी पाइप लाइन के मैप पर किस घर से किस घर तक पाइप लाइन डाली गयी है तथा किस प्रकार की रोड पर डाली गई है, का विवरण अवश्य इंगित करें। जिससे कि ग्राम वासियों एवं ग्राम प्रधान को योजना के संचालन एवं रख रखाव में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

दिनाँक 07.11.2023 को जिलाधिकारी महोदय सीतापुर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद सीतापुर के सभी ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत हर घर नल से जल उपलब्ध कराने हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित रहे :–

1– मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
2– जिला विकास अधिकारी, सीतापुर।
3– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर।
4– जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतापुर।
5– प्रभागीय वनाधिकारी, सीतापुर।
6– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी०आई०यू० तृतीय तल, विकास भवन, सीतापुर।
7– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड/ निर्माण खण्ड– प्रथम/ निर्माण खण्ड–चतुर्थ/, प्रान्तीय निर्माण खण्ड/ निर्माण खण्ड – द्वितीय(पी०एम०जी०एस०वाई०), लोक निर्माण विभाग, सीतापुर।
8– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, सीतापुर।
9– अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), सीतापुर।
10– अधिशासी अभियन्ता, सीतापुर प्रखण्ड, शारदा नहर, सीतापुर।
11– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ० प्र० जल निगम(नगरीय), सीतापुर।
12– सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रखण्ड सीतापुर।
13– सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, सीतापुर।
14– सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई एजेन्सी), सीतापुर।
15– डी०सी०, डी०पी०एम०यू० सीतापुर।
16– मेसर्स एन०सी०सी० लि०, सीतापुर।
17– मै० लार्सन एण्ड टूब्रो सीतापुर।
18– समस्त इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी(आई०एस०ए०) सीतापुर

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत बैठक में सर्वप्रथम जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में की गयी समीक्षा बैठक के बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तदोपरान्त विभागों के अधिशासी अभियन्ताओं से पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गई/काटी गई सड़कों के बारे में चर्चा की गई जिस पर अधिशासी अभियन्ता(आर०ई०डी०) द्वारा बताया गया कि जल जीवन मिशन का कार्य कर रही मैसर्स एन०सी०सी० लि० द्वारा 11 एम०डी०आर० सड़कों को बिना अनुमति के काट दिया गया है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा एजी०एम० एन०सी०सी० श्री चन्द्रशेखर राव, अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) तथा अधिशासी अभियन्ता(आर०ई०डी०) को निर्देशित किया गया कि (आर०ई०डी०) के सहायक अभियन्ता, जूनियर इंजीनियर एवं एम०डी०आर० रोडों के निर्माण कर रहे ठेकेदार के साथ जल निगम सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर मिलकर काटी गई सड़कों का सर्वेक्षण कर निराकरण कराना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में बिना अनुमति /पूर्व सूचना के एम०डी०आर० सड़कों को काटा/तोड़ा न जाये।

अधिशासी अभियन्ता(लो०नि०वि) द्वारा अवगत कराया गया कि फर्मों द्वारा 122 जगहों पर बिना अनुमति लिये लेपित सतह के किनारे पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया गया साथ ही यह बताया गया कि लेपित सतह से एक मीटर दूरी पर पाइप लाइप बिछाने के उपरान्त ट्रेन्च में सैण्ड फिलिंग करा दी जाये जिससे कि सड़कों में किसी भी प्रकार की क्षति न हो जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा एजी०एम० एन०सी०सी० श्री चन्द्रशेखर राव, प्रोजेक्ट मैनेजर एल० एण्ड टी० लि० श्री आशुतोष मोहन्ती, अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) तथा अधिशासी अभियन्ता(लो०नि०वि०) को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित विभाग के सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर तथा जल निगम के सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर मिलकर सभी सड़कों का सर्वेक्षण कर निराकरण कराना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में बिना अनुमति/पूर्व सूचना के सड़कों को काटा/तोड़ा न जाये एवं लेपित सतह से एक मीटर की दूरी पर पाइप लाइन बिछान का कार्य किया जाये। पाइप लाइन बिछाने के उपरान्त लेयर वाईज सॉलिड कम्पेक्शन करते हुए पूर्व की स्थिति में कर दिया जाये।

Scanned by CamScanner